

परिशिष्ट

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 3585

माननीय विधानसभा सदस्य श्री हरदीप सिंह डंग

जिला फोरम, मंदसौर के राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में अपील संबंधी प्रकरणों की जानकारी

क्रं.	नाम एवं पता	संरक्षण
1.	श्री महेन्द्र सिंह चौहान, निवासी- सीतामउ जिला मंदसौर	जिला फोरम के आदेश को यथावत रखते हुए राशि रुपये 104865/- पर दिनांक 8.11.2005 से 5.11.2009 तक की अवधि का 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज 1000 रुपये परिवाद व्यय तथा अपील राशि रुपये 2000/- दिलायी गई है।
2.	श्री नानू राम भामी, निवासी- मल्हारगढ, जिला मंदसौर म.प्र.	जिला फोरम के आदेश को यथावत रखते हुए उपभोक्ता का कनेक्शन संयोजित करने हुई असुविधा के राशि रुपये 1000/- एवं वाद व्यय राशि रुपये 500/- दिलायी गई है।
3.	श्रीमती प्रभावति सेठिया, निवासी- जिला मंदसौर म.प्र.	जिला फोरम के आदेश को अपास्त करते हुए उपभोक्ता को जारी माह अगस्त 2015 व सितम्बर 2015 के विद्युत बिल निरस्त किये गए हैं उपभोक्ता का मीटर बलने के बाद माह नवम्बर 2015 व सितम्बर 2015 के बिल जारी किये जाने का आदेश दिया गया है।
4.	श्री सुधीर नीमा, निवासी- जिला मंदसौर म.प्र.	जिला फोरम के आदेश को आंशिक रूप से यथावत रखते हुए उपभोक्ता द्वारा ली गई बीमा पॉलिसी की क्लेम राशि पर दिनांक 19.3.2014 से भुगतान तक 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित, मानसिक क्षतिपूर्ति राशि रुपये 5000/- तथा परिवाद व्यय राशि रुपये 2000/- दिया गया है।
5.	श्री रणछोड लाल, निवासी- दलौदा, जिला मंदसौर म.प्र.	जिला फोरम के आदेश को यथावत रखते हुए उपभोक्ता द्वारा डीपी लगवाने में खर्च राशि रुपये 34500/- का 50 प्रतिशत भाग अर्थात् राशि रुपये 17250/- अन्य कनेक्शन ग्रहिता से प्राप्त किया जावे तथा परिवादी द्वारा उसके हिस्से से अधिक खर्च की गई राशि 17250 रुपये उसके आगामी माह के विद्युत बिलों में समायोजित की जावे।
6.	श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर, निवासी- सीतामउ, जिला मंदसौर म.प्र.	जिला फोरम के आदेश को संशोधित करते हुए उपभोक्ता को राशि रुपये 369500/- 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दिनांक 12.9.2007 से अदायगी तक

परिशिष्ट

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 3585

माननीय विधानसभा सदस्य श्री हरदीप सिंह हंग

क्र.	नाम एवं पता	संरक्षण
		दिलाया गया है।
7.	श्री वरदीचंद ठोली, निवासी- मल्हारगढ, जिला मंदसौर म.प्र.	जिला फोरम के आदेश को यथावत रखते हुए विपक्ष द्वारा उपभोक्ता को जारी माह जुलाई 2007 का बिल राशि रुपये 17308/- तथा उपभोक्ता को जारी नोटिस दिनांक 25.8.2007 निरस्त किया गया। उपभोक्ता को राशि रुपये 1000/- वाद व्यय स्वीकार किया गया।
8.	श्री गोपाल मेघवाल, निवासी- मनासा, जिला मंदसौर म.प्र.	विपक्षी द्वारा उपभोक्ता को राज्य आयोग समक्ष राशि रुपये 503039/- का चेक प्रदान किया गया।
9.	श्री जोर सिंह बजारा, निवासी- भानपुर, जिला मंदसौर म.प्र.	उपभोक्ता को राज्य आयोग द्वारा चोरी किये गए ट्रेकर की 75 प्रतिशत राशि रुपये 343609/- दिलायी गई है।
10.	श्री मयंक पाटीदार, निवासी- जिला मंदसौर म.प्र.	उपभोक्ता को विपक्षी से राशि रुपये 18450/- अंतरिम राशि दिलायी गई है।
11.	श्री महोम्मद अजरुद्दीन निवासी- जिला मंदसौर म.प्र.	उपभोक्ता को विपक्षी से राशि रुपये 22800/- की अंतरिम राशि दिलायी गयी है।
12.	श्री वल्लभ प्रकाश निवासी भानपुर, जिला मंदसौर म.प्र.	उपभोक्ता को विपक्षी से राशि रुपये 218000/- की अंतरिम राशि दिलायी गई है।
13.	श्रीमती भावना, निवासी, जिला मंदसौर म.प्र.	उपभोक्ता को विपक्षी से राशि रुपये 17400/- की अंतरिम राशि दिलायी गई है।

(B.K. Chandel)
Deputy Secretary
Gov. of Madhya Pradesh
Department of Food, Civil Supply
& Consumer Protection

2